

प्रवासी ग्रामीण मजदूर: बिलासपुर (छत्तीसगढ़) के परिपेक्ष्य में एक अध्ययन

योगेश कुमार शोधार्थी, डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय, बिलासपुर छ.ग.

डॉ. सृष्टि शर्मा सहायक प्राध्यापक, डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय, बिलासपुर छ.ग.

शोध सारांश

जन्म मृत्यु एवं प्रवास किसी देश की जनसंख्या को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। प्रस्तुत शोध का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों के पलायन की प्रकृति एवं कारणों का अध्ययन करना शैक्षणिक स्तर एवं आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करना तथा प्रवासी श्रमिकों के समस्याओं का अध्ययन कर प्रवास रोकने हेतु आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करना है। अध्ययन हेतु बिलासपुर जिले के 2022-23 के 260 परिवार का सर्वेक्षण किया गया प्रवासियों से अनुसूची द्वारा जानकारी एकत्र की गई। बिलासपुर जिले के 5 विकासखंडों से 10 गांवों का चयन दैवनिदर्शन पद्धति द्वारा किया गया प्रत्येक विकासखंड से 2 ग्राम का चयन तथा प्रत्येक ग्राम से 26 परिवारों का चयन दैवनिदर्शन पद्धति द्वारा किया गया है। 260 परिवारों में से 1340 श्रमिकों ने प्रवास किए। 2022-23 में सर्वेक्षित परिवार के 1340 श्रमिकों में 51.27 प्रतिशत पुरुष एवं 48.73 प्रतिशत महिला थे। कुल प्रवासित श्रमिकों का 2.53 प्रतिशत जिले के अंदर प्रवास किये 3.43 प्रतिशत जिले के बाहर तथा 94.2 प्रतिशत राज्य के बाहर प्रवास किये। सर्वेक्षित परिवार के प्रवास न करने वाले श्रमिक 1435 थे जिसका 51.23 प्रतिशत पुरुष तथा 48.77 प्रतिशत महिला थे। गंतब्य स्थल में प्रवासित श्रमिकों का सर्वाधिक 32.24 प्रतिशत भवन निर्माण 23.95 प्रतिशत ईटभट्टा 2.79 प्रतिशत सड़क निर्माण 48.96 प्रतिशत उद्योग एवं 2.39 प्रतिशत होटल एवं घरेलू कार्य में संलग्न थे। लारेंज वकसे यह स्पष्ट है कि प्रवासित श्रमिकों की विभिन्न व्यवसाय में क्रियाशीलता में असमानता है, गिनी गुणांक सूचकांक 0.6 है। गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार प्रतिबद्ध है तथा अनेक कार्यक्रम शासन संचालित कर रही है इसमें भारत निर्माण तथा मनरेगा प्रमुख है। प्रवासित श्रमिकों को गंतब्य स्थल पर अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कई बार उन्हें बंधक बनाकर उनका शोषण किया जाता है। प्रवास रोकने के लिए उन्हें गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाय।

मुख्य शब्द – प्रवास, बिलासपुर, सामाजिक, आर्थिक

प्रस्तावना

एक भौगोलिक इकाई से दूसरे भौगोलिक इकाई में मानव की गतिशीलता को प्रवास कहा जाता है। जहां प्रवास होता है एवं जहां से प्रवास होता है दोनों स्थान सामाजिक एवं आर्थिक रूप से प्रभावित होता है। प्रवास किसी एक कारण में होने वाले घटक का परिणाम नहीं है प्रवास अनेक कारण से प्रभावित होता है। प्रवास मुख्यतः 4 स्तर पर होता है। गांव से गांव, गांव से नगर, नगर से नगर और नगर से गांव। (सिंह एवं यादव) भारत एवं छत्तीसगढ़ में मुख्यतः गांव से नगर की ओर पलायन पाया जाता है। सामान्यतः पुरुषों के प्रवास में आर्थिक कारण

की प्रबलता होती है वहीं महिला प्रवास में वैवाहिक एवं पारिवारिक कारण उत्तरदायी होता है। भारत की जनसंख्या का आधा हिस्सा महिलाओं का है। छत्तीसगढ़ की श्रमशक्ति में महिला श्रमशक्ति का बहुत बड़ा हिस्सा है। 2001 में कुलश्रमशक्ति का 25.68 प्रतिशत महिला श्रमशक्ति था। जनगणना 1901 में भारत की 90 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीणक्षेत्र में निवास करती थी वह 1951 में यह 83 प्रतिशत हो गया। औद्योगीकरण के कारण यह वर्तमान में 70 प्रतिशत से कम हो गया। रोजगार की तलाश में लोग कमशः शहरों की ओर प्रवास कर गये। कृषिभूमि के घटने तथा आबादी बढ़ने के कारण अधिकांश मजदूर रोजीरोटी कमाने शहर में पलायन कर गए। शिक्षा के विस्तार एवं गांवों में रोजगार की अनुपलब्धता शहरों की ओर पलायन का प्रमुख कारण है। महिला शिक्षा का विस्तार एवं महिलाओं में आर्थिक सशक्तिकरण की लालसा शहरों की ओर पलायन का मुख्य कारण है।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध का निम्नलिखित उद्देश्य है।

1. प्रवासी श्रमिकों के पलायन की प्रकृति एवं कारणों का अध्ययन करना।
2. प्रवासी श्रमिक के शैक्षणिक स्तर एवं आर्थिककियाकलापों का अध्ययन करना।
3. प्रवासी श्रमिकों के समस्याओं का अध्ययन कर प्रवास रोकने हेतु आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध पद्धति:

समंकों का संकलन: प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक समंकों पर आधारित है। अध्ययन हेतु बिलासपुर जिले के 2022–23 के 260 परिवार का सर्वेक्षण किया गया उत्प्रवासियों से अनुसूची द्वारा जानकारी एकत्र की गई। बिलासपुर जिले के 5 विकासखंडों से 10 गांवों का चयन दैवनिदर्शन पद्धति द्वारा किया गया प्रत्येक विकासखंड से 2 ग्राम का चयन तथा प्रत्येक ग्राम से 26 परिवारों का चयन दैवनिदर्शन पद्धति द्वारा किया गया है। 260 परिवारों में से 1340 श्रमिकों ने प्रवास किए।

आंकड़ों का विश्लेषण:

आंकड़ों के विश्लेषण हेतु प्रतिशत का उपयोग किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र:

अध्ययन हेतु बिलासपुर जिला का चयन किया गया है जहां से प्रवास में निरंतर वृद्धि हो रही है। यह अध्ययन 2022–23 के आंकड़ों पर आधारित है।

उत्प्रवासित श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति

- 2022–23 में सर्वेक्षित परिवार के 1340 श्रमिकों ने प्रवास किया जिसका 51.27 प्रतिशत पुरुष एवं 48.73 प्रतिशत महिला थे। कुल प्रवासित श्रमिकों का 2.53 प्रतिशत जिले के अंदर प्रवास किये, 3.43 प्रतिशत


जिले के बाहर तथा 94.2 प्रतिशत राज्य के बाहर प्रवास किये। सर्वेक्षित परिवार के प्रवास न करने वाले श्रमिक 1435 थे जिसका 51.23 प्रतिशत पुरुष तथा 48.77 प्रतिशत महिला थे।

- छत्तीसगढ में प्रवास कृषि कार्य पर निर्भर करता है। श्रमिक धान कटाई से लेकर धान बुआई तक प्रवासित होते हैं। यह प्रक्रिया सितम्बर अक्टूबर से प्रारंभ होकर अप्रैल मई तक वापस घर आ जाते हैं। 9.4 प्रतिशत श्रमिक सितम्बर माह में अक्टूबर में 16.7 प्रतिशत श्रमिक नवंबर माह में 42.3 प्रतिशत श्रमिक प्रवास किये 31.6 प्रतिशत श्रमिक दिसम्बर माह में प्रवास किये। 5.6 प्रतिशत श्रमिक अप्रैल माह में 13.5 प्रतिशत श्रमिक मई माह में 52.3 प्रतिशत जून माह में तथा 28.6 प्रतिशत श्रमिक जुलाई माह में वापस घर लौटे।
- उत्प्रवासित श्रमिकों का 62.4 प्रतिशत विवाहित 36.5 प्रतिशत अविवाहित 1.1 प्रतिशत विधवा/विधुर/परित्यक्ता है। कुल प्रवासित श्रमिकों का 31.2 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 7.9 प्रतिशत जनजाति, 52.3 प्रतिशत अन्य पिछडा वर्ग तथा 8.6 प्रतिशत अनारक्षित वर्ग से हैं।
- प्रवासित श्रमिकों का 53.4 प्रतिशत शिक्षित है, 46.6 प्रतिशत अशिक्षित है। शिक्षित श्रमिकों का 43.5 प्रतिशत केवल साक्षर 40.8 प्रतिशत प्राथमिक स्तर तक साक्षर तथा 8.4 प्रतिशत हाईस्कूल एवं 5.2 प्रतिशत हायर सेकेण्डरी तथा 2.1 प्रतिशत स्नातक स्तर तक साक्षर है।
- प्रवासित श्रमिकों का 27.3 प्रतिशत 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के, 65.4 प्रतिशत कार्यशील आयुवर्ग 15–59 आयुवर्ग के तथा 7.3 प्रतिशत श्रमिक 59 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के है।
- प्रवासित श्रमिकों का 5.8 छत्तीसगढ के अंदर तथा 94.2 प्रतिशत राज्य से बाहर प्रवासित हुए जिसका सर्वाधिक 21.79 प्रतिशत उत्तरप्रदेश, हरियाणा 12.16 प्रतिशत, दिल्ली 10.97 प्रतिशत, तथा पंजाब 8.58 प्रतिशत प्रवासित हुए। सबसे कम उत्प्रवास तमिलनाडु 2.61 प्रतिशत, आंध्रप्रदेश 3.36 प्रतिशत तथा कर्नाटक राज्य में 3.51 प्रतिशत प्रवास किए।
- प्रवासित श्रमिक 100 से 250 दिनों तक के लिए प्रवास करते हैं। प्रवासित श्रमिकों का 2.8 प्रतिशत 100 दिनों के लिए, 25 प्रतिशत श्रमिक 100 से 150 दिनों के लिए, 37 प्रतिशत श्रमिक 150 से 200 दिनों के लिए तथा 35.2 प्रतिशत श्रमिक 200 से 250 दिनों के लिए प्रवास किये।
- प्रवासित श्रमिकों का 40.7 प्रतिशत स्वयं तथा 59.3 प्रतिशत ठेकेदारों के माध्यम से प्रवास किए।
- प्रवासित श्रमिक प्रवास के लिए बस तथा रेल का उपयोग करते हैं। 81.5 प्रतिशत श्रमिक बस एवं रेल दोनों माध्यम 5.4 प्रतिशत ने बस के द्वारा तथा 13.1 प्रतिशत श्रमिकों ने रेल का उपयोग प्रवास के लिए किया।
- प्रवासित श्रमिक अधिकतर बाहर राज्य से आगामी वर्ष के लिए अग्रिम सुविधा लेते हैं। प्रवासित श्रमिकों का 22.3 प्रतिशत श्रमिक अग्रिम सुविधा लिए शेष 77.7 प्रतिशत श्रमिक स्वतंत्र रूप से प्रवास किए।

- प्रवासित श्रमिकों का उत्प्रवास का कारण गरीबी एवं निम्न आय एवं रोजगार का अभाव है उत्प्रवासित श्रमिकों का 46.9 प्रतिशत श्रमिक परिवार की वार्षिक आय 20000 रु वार्षिक से कम है। परिवार का औसत आकार 5 सदस्य या उससे अधिक है अर्थात प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय 5000रु या उससे कम ही है। 53.1 प्रतिशत श्रमिकों की वार्षिक आय 20000रु से 30000रु तक है अर्थात प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय 6000रु तक है।

गंतव्य स्थल में उत्प्रवासित श्रमिकों की आर्थिक क्रियाशीलता

प्रवासित श्रमिकों का सर्वाधिक 32.24 प्रतिशत भवन निर्माण 23.95 प्रतिशत ईटभट्टा 21.79 प्रतिशत सड़कनिर्माण 18.96 प्रतिशत उद्योग एवं 2.39 प्रतिशत होटल एवं घरेलू कार्य में संलग्न थे। कार्य स्थल पर इन्हें आवास झोपडी एवं पेयजल के अतिरिक्त कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जाता। प्रवासित श्रमिकों का 3.1 प्रतिशत 100 दिनों के लिए 24.3 प्रतिशत 100 से 150 दिनों के लिए 40.3 प्रतिशत श्रमिक 150 से 200 दिनों के लिए तथा 32.3 प्रतिशत श्रमिक 200 से 250 दिनों के लिए प्रवास किए। प्रवासित श्रमिक 5000 रु से 30000रु तक बचत कर अपने घर लाते हैं। प्रवासित श्रमिकों का सर्वाधिक 52.3 प्रतिशत ने 10000रु तक बचत किया सबसे कम 8.9 प्रतिशत ने 30000रु तक बचत किया तथा 0.8 प्रतिशत ने बचत नहीं किया।



श्रमिकों की विभिन्न व्यवसाय में आर्थिक क्रियाशीलता

लारेंज वक्र से यह स्पष्ट है कि उत्प्रवासित श्रमिकों की विभिन्न व्यवसाय में क्रियाशीलता में असमानता है। गिनी गुणांक सूचकांक 0.61 है।

प्रवास के कारण

प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों को जनांकिकीविदों ने 2 भागों में बांटा है

आकर्षक कारक: वे कारक जो मनुष्य को अपना निवासस्थान छोड़कर अन्यत्र बसने को प्रोत्साहित करते हैं अर्थात् वे कारक जो मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करते हैं – रोजगार एवं व्यवसाय के श्रेष्ठ अवसर, अधिक आय अर्जित करने के अवसर, मनोरंजन के साधनों की उपलब्धता और शिक्षा तकनीकी प्रशिक्षण तथा आवास की सुविधाएँ, स्वास्थ्यप्रद जलवायु और उन्नत नगरीय जीवन।

प्रत्याकर्षक कारक: वे कारक जो मनुष्य को अपना निवासस्थान छोड़कर अन्यत्र बसने को बाध्य करते हैं अर्थात् वे कारक जो मनुष्य को अपना निवासस्थान छोड़ने को मजबूर करते हैं – रोजगार के साधनों का अभाव, शिक्षा तकनीकी प्रशिक्षण तथा आवास का अभाव, मनोरंजन के साधनों की अनुपलब्धता, अधिक आय अर्जित करने के अवसर का अभाव, सामाजिक तिरस्कार और असामाजिक तत्वों का आतंक।

प्रवास रोकने के उपाय:

गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार प्रतिबद्ध है तथा अनेक कार्यक्रम शासन संचालित कर रही है इसमें भारत निर्माण तथा मनरेगा प्रमुख है। प्रवासित श्रमिकों को गंतब्य स्थल पर अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कई बार उन्हें बंधक बनाकर उनका शोषण किया जाता है। उत्प्रवास रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय अमल में लाना चाहिए।

- 1 गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाय।
- 2 उद्यमिता एवं कौशल उपाय
- 3 औद्योगिक प्रशिक्षण
- 4 स्वरोजगार के लिए प्रेरणा
- 5 स्वसहायता समूहों की स्थापना
- 6 कुटीर उद्योग धंधों की स्थापना
- 7 पूरक उद्योगों की स्थापना जैसे पशुपालन मुर्गीपालन रेशमकीट पालन मत्स्यपालन आदि।

निष्कर्ष:

छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है। बिलासपुर जिला भी कृषिप्रधान जिला है। कृषि में मौसमी बेरोजगारी पायी जाती है। कृषि कार्य अधिकतम 6 माह तक सम्पन्न होता है शेष समय ग्रामीण बेरोजगार रहते हैं जिसके कारण वे राज्य के बाहर कार्य के लिए प्रवास कर जाते हैं जहाँ वे अनेक समस्याओं के शिकार होते हैं। शासन की रोजगारप्रधान योजनाओं के साथ ही ग्रामीणों का जागरुक होना आवश्यक है तभी इस समस्या को दूर किया जा सकता है। इस दिशा में उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना चाहिए जिससे उन्हें जीविकोपार्जन के लिए उत्प्रवास नहीं करना पड़ेगा। पुरुषों के प्रवास में आर्थिक कारण की प्रबलता होती है वहीं महिला प्रवास में वैवाहिक एवं पारिवारिक कारण उत्तरदायी होता है।

- परिदा, जे.के. (2019)। शहरी भारत में ग्रामीण-शहरी प्रवास, शहरीकरण और मजदूरी अंतर। एशिया में आंतरिक प्रवास, शहरीकरण और गरीबी: गतिशीलता और अंतर्संबंध, 189-218।
- नैयर, जी., और किम, के.वाई. (2018)। भारत का आंतरिक श्रम प्रवास विरोधाभास: सांख्यिकीय और वास्तविक। विश्व बैंक नीति अनुसंधान कार्य पत्र, (8356)।
- सिंह, जे., यादव, ए., सिंह, एस. डी. (2006). ग्रामीण नगरीय प्रवासन कारण एवं प्रतिफल: शिकोहाबाद के संदर्भ में, सामाजिक सहयोग अंक 59 वर्ष 15, 28-34।
- साहू, डी.के., चौधरी, वी.के., गौराहा, ए.के., दास, ए., और वर्मा, जे. (2021)। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में महामारी की स्थिति में मजदूरों के पलायन के बदलते रुझान। शिक्षा, 42(293), 40-93।
- सरकार, पी. (2023)। जनगणना-2011 स्नैपशॉट: झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ से पलायन। जर्नल ऑफ माइग्रेशन अफेयर्स, 5(1-2), 1-10।